विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक -5976
द्वारा - श्री निशंक कुमार जैन माननीय विधायक महोदय

परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक / एफ 20-3 / 2013 / 3-25 भोपाल, दिनांक 26/7/16

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व)
मध्यप्रदेश

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत राजस्व भूमि के वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वर्ग के वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करने बावत्।

संदर्भ :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनं निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 (घ)

2. संचालनालय, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें का पत्र क्रमांक / वनअधि / 503 / 2014 / 6032 दिनांक 10.3.2014

3. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-4 / 2014 / 7-6 दिनांक 5.8.2014

विषयान्तार्गत संदर्भित प्रावधान एवं पत्रों का अवलोकन करें। जिलों में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन विभाग के अंतर्गत आने वाली वन भूमि के काबिजों को वन अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही तो की जा रही है, परन्तु राजस्व रिकार्डो में दर्ज वनभूमि में काबिज वन निवासियों को वन अधिकार पत्र नही दिये जा रहे है। जबकि संदर्भित पत्रों द्वारा राजस्व भूमि के अंतर्गत राजस्व वन (छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद) में दर्ज भूमि में काबिज अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों वन अधिकारों की मान्यता की कार्यवाही करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिनिमय की धारा 2 (घ) में "वनभूमि" की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है :-

"वनभूमि से किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अवर्गीकृत वन, असीमांकित विद्यमान वन या समझे गये वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी है"

अधिनियम के उक्त प्रावधान एवं राजस्व विभाग के उक्त संदर्भित ज्ञापन दिनांक 5.8.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज राजस्व वन (छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज भूमि में काबिज सभी पात्र व्यक्तियों को राजस्व विभाग के अभिलेखों अथवा राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों से संबंधित अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में उपयोग करते हुये वन अधिकार पत्र प्रदान करने की कार्यवाही तत्परता से की जायें।

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल	अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल

सहायक नियोजन अधिकारी
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएें
सतपुड़ा भवन, भोपाल

d:\fra\letter.doc

पृ.क्रमांक / एफ 20-3 / 2013 / 3-25 भोपाल, दिनांक 26/7/16

प्रतिलिपि:-

1. समस्त कलेक्टर्स, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय भोपाल

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय भोपाल

सहायक नियोजन अधिकारी
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं
सतपुड़ा भवन, भोपाल

(3)

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

क्रमांक   भोपाल,दिनांक: जनवरी, 2008

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश,
भोपाल

विषय: आदिवासियों को उनके कब्जे की भूमि से संबंधित अभिलेख तैयार रखने बाबत।

देश में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 दि0 31.12.2007 से प्रवृत्त कर दिया गया है जिसके प्रावधानों के अनुसार आदिवासियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को कब्जे की भूमि पर अधिकारों की मान्यता की कार्यवाही की जाना है। अतः एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के समस्त वन क्षेत्र में जहां जहां कब्जे हैं, उसके अभिलेख अद्यतन स्थिति में तैयार किये जायें तथा ग्रामसभा अथवा उपखण्डस्तरीय समिति अथवा जिला स्तरीय समिति द्वारा चाहे जाने पर उन्हें उपलब्ध कराये जायें।

2. यह कार्यवाही पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाये। समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर शासन को अवगत कराया जाये।

(रतन पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

F-25-83/04/10-3

क्रमांक डी/820/103/08/10-3   भोपाल,दिनांक 21 जनवरी, 2008

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल
4. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
5. समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय/क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
7. समस्त वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/वन्यप्राणी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

कार्यालय वन संरक्षक मंडल जबलपुर
क्र०/मा० चि०/ 1305 ......जबलपुर दिनांक 08-02-08

प्रतिलिपि:- समस्त व.म.अ.(सा.) एवं उप संचालक लफर जोन मंडला की ओर सूचनार्थ, वरिष्ठ द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। एवं ... शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

1157
30/1/08

सहायक नियोजन अधिकारी
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ
सतपुड़ा भवन, भोपाल